

FORM NO. III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार बनाम पंकज

किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-09 सन्-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-09/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
23.05. 2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्बत् 2079 ग्राम नांगल मीना भूमि ख0न0 58 रकबा 0.01 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0रास्ता पर गैर सायल पुत्र शोभाराम मीना जाति मीना निवासी नांगल मीना द्वारा गोबर व ईंधन लकड़ी, डालकर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। बार-बार तामिल नोटिस प्राप्त होने पर एवं दूरभाष पर सूचित करने पर भी गैर सायल उपस्थित नहीं हुआ। जिससे गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.44 रुपये का 50 गुणा 22 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली, वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	


तहसीलदार
तहसील मण्डावर (दौसा)